

डिक्री बमुकदमें ईव्त्दाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
पीठासीन अधिकारी:- जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:-357/2025

रविन्द्र कुमार पुत्र श्री हरीराम जाति जाट निवासी ढाबां तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़

- वादी

बनाम

1. हरीराम पुत्र श्री मनीराम जाति जाट निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
2. विनोद कुमार पुत्र श्री मनीराम जाति जाट निवासी ढाबां तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़
3. लक्ष्मीनारायण पुत्र श्री मनीराम जाति जाट निवासी ढाबां तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़
4. मुकेश कुमार पुत्र श्री हरीराम जाति जाट निवासी ढाबां तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़
5. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

- प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री महावीर बेरड़ वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री कुलदीप मूण्ड वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 4 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है:- वादी के पिता, ताया एवं चाचा प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के नाम से तहसील संगरिया के चक 7 बी.जी.पी. के खाता सं. 83/28 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में 12.219 है. कृषि भूमि में से वादी को 0.805 है. कृषि भूमि का, प्रतिवादी सं. 1 को 3.361 है. कृषि भूमि का, प्रतिवादी सं. 2 को 4.772 है. कृषि भूमि का प्रतिवादी सं. 3 को 3.281 है. कृषि भूमि का खातेदार काशतकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 ता 3 का हिस्सा घटाया-बढ़ाया जावे तथा इसी प्रकार वादी के चाचा प्रतिवादी सं. 3 के नाम से तहसील संगरिया के चक 7 बी.जी.पी. के खाता सं. 84/12 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में 0.999 है. कृषि भूमि का प्रतिवादी सं. 1 को खातेदार काशतकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 3 का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण का खाता निम्नानुसार खाता अलग कायम किया जावे:-

(क) वादी रविन्द्र कुमार पुत्र श्री हरीराम(0.805 है.) एवं प्रतिवादी सं. 1 हरीराम पुत्र श्री मनीराम (3.361 है.) समस्त जाति जाट निवासीगण ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-

चक 7 बी.जी.पी. खाता सं. 83/28 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76

प.नं. मु.नं. कि.नं.

203/153 45 1,2,3/0.253 है.प्र.,

4/0.207 है., 7/0.206 है.(किलो की पश्चिमी दिशा में)

8ता10/0.253 है.प्र., 14/1/0.126 है., 15/1/0.228 है.,

15/2/0.025 है., 16/1/0.228 है., 16/2/0.025 है

17/1/0.127 है., 24/0.223 है.(किला की पूर्वी दिशा में)

25/1/0.228 है., 25/2/0.025 है.

204/154 49 1,10,11/0.253 है.प्र., 20/0.228 है., 21/0.013 है.

मुमकिन 4.091 है., गै.मु. 0.075 है. कुल 4.166 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

(ख) प्रतिवादी सं. 1 हरीराम पुत्र श्री मनीराम जाति जाट निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-

चक 7 बी.जी.पी. खाता सं. 84/12 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76

प.नं. मु.नं. कि.नं.

204/154 49 2/0.253 है., 3/2/0.063 है., 8/1/0.063 है.,

9,12/0.253 है.प्र., 13/1/0.038 है., 19/0.076 है.

कुल 0.999 है. कृषि भूमि

(ग) प्रतिवादी सं. 2 विनोद पुत्र श्री मनीराम जाति जाट निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-

चक 7 बी.जी.पी. खाता सं. 83/28 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76

महायक कलक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी

संगरिया

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
203/152	40	15/1/0.228 है., 15/2/0.025 है., 16/1/0.228 है., 16/2/0.025 है., 25/1/0.228 है., 25/2/0.025 है.
204/152	41	11/1/0.025 है., 12/1/0.025 है., 13/1/0.025 है., 18ता23/0.253 है.प्र.
204/153	44	1,2,3,9,10,11,12/0.253 है.प्र., 19/1/0.025 है., 20/1/0.025 है.
203/153	45	5/1/0.228 है., 5/2/0.025 है., 6/1/0.228 है., 6/2/0.025 है., 4/0.046 है., (किला की पूर्वी दिशा में) 7/0.047 है., (किला की पूर्वी दिशा में).

मुमकिन 4.647 है., गै.मु. 0.125 है. कुल 4.772 है. मय गै.मु. कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 3 लक्ष्मीनारायण पुत्र श्री मनीराम जाति जाट निवासी ढायां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाप्त की कृषि भूमि :-
चक 7 बी.जी.पी. खाता सं. 83/28 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
203/154	48	1ता4/0.253 है.प्र., 5/1/0.234 है., 6/1/0.234 है., 7ता10/0.253 है.प्र.
203/153	45	21,22,23/0.253 है.प्र., 24/0.030 है.(किला की पश्चिमी दिशा में) कुल 3.281 है. कृषि भूमि

नोट :- यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणि काप्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निज......निल......मुब्लिक......निल......बाबत......निल...खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक......अदा करें।

बसब मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 29/2/2020 को जारी किया गया।

(जय कौशिक)

सहायक कलेक्टर एवं
उपसहायक अधिवक्ता,
संगरिया